संख्या 838 /18-4-2025

प्रेषक,

आलोक कुमार
अपर प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग - 4 लखनऊः दिनांक 10 नवंबर, 2025

विषयः- डाक घर निर्यात केन्द्र सहायता योजना अन्तर्गत वित्तीय सहायता।

महोदय,

राज्य के निर्यातकों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी (अंतिम छोर तक पहुँच) को सुलभ बनाने, निर्यात से जुड़ी लागतों को कम करने, स्थानीय स्तर पर सहायता प्रदान करने, समावेशी व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा स्थानीय उत्पादकों और कारीगरों की वैश्विक बाजारों तक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाक घर निर्यात केन्द्रों के माध्यम से कन्साइमेंट भेजने वाले निर्यातकों को शासनादेश संख्या 684/18-4-2025/18-4099/31/2025 दिनांक 03 सितम्बर 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के क्रम में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु "डाक घर निर्यात केन्द्र सहायता" योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

2. योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा समय-समय पर परिभाषित उत्तर प्रदेश की समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की ऐसी निर्यातक इकाईयों को निम्नानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जो कार्य सम्पादन के समय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत होंगे-

(1) योजना के अंतर्गत डाक घर निर्यात केन्द्र के माध्यम से कन्साइनमेंट भेजने वाले निर्यातको को पोस्टेज शुल्क का 75 प्रतिशत, प्रति निर्यातक प्रति वर्ष अधिकतम ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) की वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी।

(2) यह प्रतिपूर्ति ₹1 लाख प्रति वर्ष की सीमा अन्तर्गत एक से अधिक शिपमेंट्स (Multiple Shipments) पर लागू होगी, जो डाक निर्यात केन्द्र के माध्यम से भेजी गई हों।

(3) वित्तीय सहायता की गणना शुद्ध डाक शुल्क (Net Postage Amount) के आधार पर की जाएगी, जिसमें कैंद्रीय और राज्य GST को शामिल नहीं किया जाएगा।

3. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन की प्रक्रिया-

(1) योजनान्तर्गत त्रैमासिक आधार पर दावे प्रस्तुत किये जाएगें जिसमें सम्बंधित तिमाही के

दौरान डाक निर्यात केन्द्र के माध्यम से भेजे गए शिपमेंट पर हुए कुल डाक शुल्क को जोड़ा जाएगा।

(2) संबंधित त्रैमास के समाप्त होने के 45 दिवस की अवधि में निर्यातक इकाई निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन दावा करना होगा। निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(3) निर्यातक इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय अपने दावे के साथ समस्त वांछित अभिलेखों की प्रतियाँ अपलोड की जानी होंगी।

(4) इकाई द्वारा आवेदन की तिथि से 15 दिवस की अवधि तक आवेदन पत्र में हुई त्रुटियां स्वयं संशोधित की जा सकेंगी। उक्त 15 दिवस की अवधि के उपरान्त दावा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ के पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगा।

(5) दावे के निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पोर्टल पर प्रदर्शित होने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों की अवधि में परीक्षणोंपरान्त पूर्ण पाये गये दावे एजेंडा में सम्मिलित किये जायेंगे तथा अपूर्ण पाये गये दावों की स्थिति में पोर्टल पर ही अपूर्णता का विवरण ऑनलाईन अंकित करते हुए निर्यातक इकाई को वापस (Revert) कर दिये जायेंगे।

(6) सम्बन्धित निर्यातक इकाई द्वारा अपूर्ण पाये गये दावों से सम्बन्धित कमियों का निवारण करते हुए अधिकतम 15 दिवसों के अन्दर सुसंगत अभिलेखों को अपलोड करना होगा। निर्यातक इकाईयों के स्तर पर वांछित कार्यवाही उक्त अवधि में पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दावा स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(7) अपूर्ण पाये गये दावो की स्थिति में, निर्यातक इकाई द्वारा अपूर्णता का निवारण करते हुए दावे से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेख अपलोड किये जाने की स्थिति में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा पुनः परीक्षणोंपरान्त अधिकतम 30 दिनों की अवधि में अपनी सुस्पष्ट संस्तुति के साथ दावा एजेंडा में सम्मिलित किया जायेगा।

5. निर्यातक इकाईयों द्वारा दावों को ऑनलाइन फाइल किये जाने की प्रक्रिया, दावों के परीक्षण करने हेतु निर्यातक इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेखों का निर्धारण एवं इसमें संशोधन का अधिकार प्राधिकृत समिति में निहित होंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों/आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने का अधिकार निम्नानुसार गठित प्राधिकृत समिति में निहित होगा:-

1	निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	प्रतिनिधि, पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	अपर/संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

6. योजनान्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्राप्त होने वाले समस्त दावे स्वीकृति हेतु उक्तानुसार गठित प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों की स्वीकृति प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर की जायेगी तथा बजट उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता का अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक

खाते में किया जायेगा। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले दावों का भुगतान उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। अवशेष दावों को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिए जाने के अधिकार प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

7. पात्र निर्यातक इकाईयों को इस योजना हेतु आर्थिक सहायता तभी अनुमन्य होगी यदि निर्यातक इकाईयों द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समान उद्देश्य हेतु संचालित किसी अन्य योजना से समान प्रकृति का पूर्ण या आंशिक लाभ न लिया गया हो।

8. राज्य द्वारा प्रायोजित/निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय मेलों/इवैंट्स में प्रतिभाग करने वाली इकाईयों को योजनान्तर्गत दावों के भुगतान के समय प्राथमिकता दी जायेगी।

9. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत अनुमन्य आर्थिक सहायता का दुरूपयोग किया गया है अथवा जानबूझ कर गलत तथ्य/विवरण प्रस्तुत किये गये हैं अथवा छिपाये गये हैं तो इकाई से सम्पूर्ण धनराशि राजस्व देयों की भांति वसूल की जायेगी तथा इकाई को काली सूची में डालते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की शासकीय आर्थिक सहायता हेतु अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

10. शासनादेश में किये गये प्राविधानों की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण के अधिकार योजनान्तर्गत गठित प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

11. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय

Digitally signed by
ALOK KUMAR
Date: 10-11-2025
16:57:53

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 838(1)/18-4-2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन,/ निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ।
5. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
7. संयुक्त/अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

अनुलग्नक-1

डाक घर निर्यात केंद्र सहायता योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता

(शासनादेश संख्या- 838/18-4-2025 दिनांक 10 नवम्बर 2025)

आवेदन पत्र का प्रारूप

क्र0सं0 S.N.	बिन्दु **Particulars**	विवरण **Details**
1	निर्यातक इकाई का नाम Name of the Exporting Unit	
2	पंजीकृत कार्यालय का पता Registered Office Address	
3	आयातक-निर्यातक कोड संख्या Importer Exporter Code (IEC)	
4	निर्यातक का प्रकार Certificate of Origin from Uttar Pradesh	☐ Yes हाँ (Attach Copy) (प्रति संलग्न करें) ☐ No नहीं
5	निर्यातक का प्रकार Type of Exporter	☐ Manufacturer निर्माता ☐ Merchant व्यापारी ☐ Both दोनों
6	पंजीकरण संख्या Registration Number • निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 (EPBUP) • उ0प्र0 निर्यात संवर्धन परिषद (UPEPC) • उद्यम (Udyam)	
7	भारत डाक के साथ संविदात्मक ग्राहक पंजीकरण संख्या Contractual Customer Registration Number with India Post	
8	जिस तिमाही के लिए दावा किया जा रहा है Quarter for which claim is being made	
9	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम Name of Authorized Signatory	
10	पद का नाम Designation	
11	संपर्क विवरण (फ़ोन / ईमेल आईडी) Contact Details (Phone / Email ID)	

डीएनके शिपमेंट विवरण (DNK Shipment Details)

क्र. S. N.	बिन्दु Particulars	विवरण Details
1	निर्यातित उत्पादों के नाम Name of Products Exported	
2	सम्बोधित तिमाही में शिपमेंट की सख्या No of Shipments in Concerned Quarter	
3	सम्बोधित तिमाही में प्रेषित शिपमेंट की कुल मात्रा Total Quantity of Shipments in Concerned Quarter	
4	सम्बोधित तिमाही में प्रेषित शिपमेंट का कुल मूल्य Total Value of Shipments in Concerned Quarter	
5	सम्बोधित तिमाही में अदा किया गया कुल डाक शुल्क Total Postage Charge Incurred in Concerned Quarter	
6	त्रैमास में भुगतान किया गया डाक शुल्क जिसके सापेक्ष प्रतिपूर्ति चाही गयी है Actual Postage Charge Paid in Concerned Quarter For Which Reimbursement is being claimed	
7	अनुमन्य दावा राशि (डाक शुल्क का 75%, अधिकतम रु0 1 लाख / वर्ष) Claim admissible (75% of postage charge, Max Rs. 01 Lakh/ Year)	
8	योजनान्तर्गत आवेदित वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गयी पूर्व सहायता (रु0 में) Previous Assistance Received in applied FY. (INR)	

शपथ पत्र का प्रारूप (रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर)

मैं....................पुत्र/पुत्री/पत्नी.. प्रोपाइटर/पार्टनर/निदेशक.मे0.. पता...................... ....उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सं0.......................................आई.ई. सी. कोड..............................ई0पी0बी0 पंजीयन संख्या..................................दिनाँक..... ....सत्यापित करता हूं/करती हूंः-

1. निर्यातक इकाई द्वारा यह दावा संबंधित योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष...................में................बार प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत दावा वित्तीय वर्ष......... के ....त्रैमास हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. यह कि उक्त वर्णित इकाई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एक्ट-2006 तथा जारी अधिसूचना दिनाँक 21 मार्च 2025 में वर्णित सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत एक.......................श्रेणी की इकाई है।
3. यह कि निर्यातक इकाई (मर्चेंट/मैन्युफैक्चुरिंग).......................... श्रेणी के अंतर्गत हैं।
4. यह कि निर्यातक फर्म द्वारा अनुदान हेतु किये गये दावे के सापेक्ष प्रदेश अथवा भारत सरकार की किसी भी योजना से वित्तीय अनुदान/लाभ प्राप्त नही किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त समस्त सूचनाए जो मेरे द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी प्रकार के तथ्यों को छुपाया नही गया है। यदि भविष्य में यह पाया जाता है मेरे द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हो तो मेरे विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सकती है।

(हस्ताक्षर)
नाम-
पदनाम-प्रोपाइटर/पार्टनर/डायरेक्टर-
पता-
मोबाईल नंबर-

अनुलग्नक III

डाक घर निर्यात केन्द्र द्वारा सत्यापन

बिन्दु	विवरण
डाक घर निर्यात केन्द्र का नाम	
जनपद	
पोस्ट मास्टर का नाम	
पद का नाम	
संपर्क संख्या	
ईमेल आईडी	
सत्यापन की तिथि	

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

1. निर्यातक मेसर्स __________________________________, संविदात्मक ग्राहक आईडी _________________, ने उपरोक्त तिमाही के दौरान डाक घर निर्यात केंद्र (डीएनके) के माध्यम से निर्यात किया है
2. शिपमेंट का विवरण, संबंधित चालान और निर्यात के डाक बिल (पीबीई) डाक घर निर्यात केंद्र के आधिकारिक अभिलेखों से सत्यापित किए गए हैं।
3. ऊपर दर्शाई गई कुल डाक राशि ₹___________ (करों को छोड़कर) सटीक है और डाक घर निर्यात केंद्र के माध्यम से की गई वास्तविक शिपमेंट के अनुरूप है।
4. यह प्रमाणपत्र केवल निर्यातक को उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2025-30 की डाक घर निर्यात केंद्र (डीएनके) सहायता योजना के तहत डाक खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

द्वारा सत्यापित	**प्रतिहस्ताक्षरकर्ता**
डाकपाल	**राजपत्रित पोस्टमास्टर / डाक निरीक्षक (आईपी) / सहायक डाक अधीक्षक (एएसपी)**
नाम:	नाम:
हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर:
तारीख:	तारीख:
आधिकारिक सील	आधिकारिक सील